भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2391

दिनांक 09 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

बच्चों को तंबाकू का सेवन करने से रोकना

2391. श्री नीरज डांगी:

श्री कैलाश सोनी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्लोबल यूथ सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूली बच्चे दस साल की उम्र से पहले ही तंबाकू का सेवन कर रहे हैं;

(ख) इन स्कूली बच्चों को तंबाकू उत्पादों के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को बच्चों में इस घातक लत/तंबाकू सेवन से निपटने के लिए कोई प्रस्ताव या अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, 13 से 15 वर्ष के आयु समूह के स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच आयोजित किए गए ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (जीवाईटीएस-4), 2019 की राष्ट्रीय फैक्ट शीट में, सिगरेट और बीड़ी धूम्रपान और धुआं रहित तंबाकू का उपयोग शुरू करने की औसत आयु क्रमशः 11.5 वर्ष, 10.5 वर्ष और 9.9 वर्ष थी।

(ख) से (ङ): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, स्कूल जाने वाले बच्चों को तंबाकू उत्पादों के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए, 2003) की धारा 6(ए) के अनुसार, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन और वितरण का निषेध) के साथ पठित व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2011, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को और के द्वारा तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर और सीओटीपीए, 2003 की धारा 6(बी) के अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान के सौ गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीओटीपीए, 2003 की धारा 6 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए "तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के लिए दिशानिर्देश (संशोधित)" भी जारी किए हैं। राज्य इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा विभागों के साथ प्रभावी उपाय कर रहे हैं। तंबाकू विरोधी विभिन्न अभियानों के माध्यम से स्वास्थ्य पर तंबाकू के उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में नियमित और निरंतर जागरूकता फैलाई जाती है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है और सीओटीपीए, 2003 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिनियम को लागू करने की प्रमुख जिम्मेदारी, राज्य सरकारों की है।

स्कूली शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के लिए दिशानिर्देश दिनांक 17.09.2019 के पत्र के माध्यम से इन दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रसारित किए गए और उसके बाद दिनांक 18.12.2020, 08.01.2021 और 07.07.2022 के पत्रों के माध्यम से इन्हें दोहराया गया। ये दिशानिर्देश शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों अर्थात केंद्र सरकार: राज्य सरकारों: शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज संगठन की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निर्धारित करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है और अधिनियम को लागू करने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

इसके अलावा, आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम (एसएचपी) के तहत, तम्बाकू, नशीली दवाओं/मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूली छात्रों के साथ रोल प्ले, लोक नृत्य, पोस्टर बनाना, रचनात्मक लेखन, वाद-विवाद, चर्चा और कौशल निर्माण गतिविधियों जैसी विशेष कक्षाएं और प्रायोगिक अध्ययन गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने से संबद्ध स्कूलों में पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में जीवन-कौशल शिक्षा की शुरुआत की है। जीवन-कौशल छात्रों को तंबाकू और अन्य नशे की लत से दूर रहने में मदद करता है। सीबीएसई स्कूल एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का अनुकरण करते हैं जिनमें आठवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में तंबाकू के दुष्प्रभावों सहित नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित सामग्री होती है। सीबीएसई सभी छात्रों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए अपने से संबद्ध स्कूलों को समय-समय पर परिपत्र भी जारी करता रहा है।

इसके अलावा, विभाग द्वारा विकसित 'स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर दिशानिर्देश' में अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबंधन, विभिन्न हितधारकों और विभिन्न विभागों की जवाबदेही तय करने के प्रावधान शामिल हैं। ये दिशानिर्देश सुझाव की प्रकृति के हैं और इनमें अन्य बातों के साथ ही स्कूल परिसर के 100 गज के भीतर तंबाकू या किसी अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्कूल/स्कूल प्रबंधन की भूमिका और जिम्मेदारी भी शामिल है।

इसके अलावा, प्राप्त सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने वर्ष 2021 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों के साथ मिलकर ''बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन और अवैध तस्करी" की रोकथाम पर एक संयुक्त कार्य योजना तैयार की है। यह एक सार्वजनिक नीति दस्तावेज और एक समयबद्ध कार्रवाई के माध्यम के साथ ही देश में बच्चों के बीच नशीली दवाओं और पदार्थों के उपयोग के मुद्दे के समाधान के

लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए बच्चों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से दूर रखने और स्कूलों/ कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों, बाल देखभाल संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए एक रूपरेखा है। यह बच्चों तक फार्मास्युटिकल दवाओं, नशीले पदार्थों और नशे के रूप में उपयोग की जाने वाली किसी भी अन्य वस्तु की पहुंच को रोकने के लिए कुछ कार्यनीतिक हस्तक्षेप भी अपनाता है।

इस संयुक्त कार्य योजना की मुख्य विशेषताओं में से एक स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों में "प्रहरी क्लब" का गठन है, क्योंकि स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में कई प्रकार के छात्र क्लब और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। संयुक्त कार्य योजना एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://ncpcr.gov.in/showfile.php?lang=1&level=1&&sublinkid=2122&lid=2022

*****